न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0
जिला ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. 4/निगरानी/छतरपुर/(भूराजस्व)/2017/2624

254

1. जगतसिंह पुत्र श्री माधौसिंह
2. रामसिंह पुत्र श्री माधौसिंह
3. राजाराम पुत्र श्री अज्युद्धी यादव निवासीगण ग्राम मलपुरा तहसील बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर म0प्र0 ....प्रार्थी

बनाम

1. छिल्ली पुत्र श्री काशी निवासी मलपुरा तहसील बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर म0प्र0
2 म0प्र0शासन .....प्रतिप्रार्थीगण
3- राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़ा मल्हारा त0 बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर

श्री जगदीश श्रीवास्तव कोर्ट द्वारा आज दि 11-8-17 को प्रस्तुत

11-8-17

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ा मल्हारा तहसील बड़ा मल्हारा के प्रकरण कमांक 86/2016-17 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रार्थीगणों के पूर्वजों के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम मलपुरा तहसील बड़ामल्हारा में स्थित सर्वे कमांक 28/1, 29, 30, 32 थी और राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि प्रार्थीगणों के पूर्वजों के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप दर्ज थी तथा मौके पर प्रार्थीगणों का अधिपत्य था । उक्त भूमि का व्यवस्थापन प्रतिप्रार्थी ने करा लिया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर रहे है, उक्त भूमि का सीमांकन कराए जाने बावत् प्रतिप्रार्थी कमांक-1 ने न्यायालय में सीमांकन कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त भूमि पर प्रार्थीगण मौके पर पूर्वजों के समय से अधिपत्यधारी होकर मौके पर कब्जाधारी थे परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थीगणों को कोई सूचना पत्र जारी नही किया और ना ही मौके पर सीमांकन कार्यवाही के समय प्रार्थीगणों को मौके पर बुलाया और

कमांक.........2

नि.3- राजाराम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक – एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/2624

जगत सिंह आदि **विरूद्ध रिल्ली आदि**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ा मल्हारा, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 86/2016-17/अ-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 11.01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	